नामी

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

212 प्राप्त व.व्य.प्र.c ... रामदेव बनाम शौकिन वगैरह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2021/194 अप्रार्थी नं. 5 अनु. 6,7,10,11 श्री नवीन गुर्जर श्री मंगलाराम चौधरी / निजी	
2.11.21	रामदेव बनाम शौकिन वगैरह प्रार्थना पत्र बाजदायरी अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी.पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से श्री मंगला राम चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली हों। अप्रार्थी संख्या 10, 11 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि उक्त अपील दिनांक 28.07.2021 को सुनवाई हेतु नियत थी जिसे मान्नीय न्यायालय के द्वारा अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज फरमा दी गयी। उपरोक्त उनवाने अपील में मान्नीय न्यायालय के द्वारा बरवक्त लगवाये जाने आवाज प्रार्थी/अभिभाषक अन्य न्यायालय के समक्ष बहस में व्यस्त होने के कारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके और जब बाद में उपस्थित हुए तो पता चला कि उक्त अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमा दी गई है। अपीलांटस के अभिभाषक ने अपीलांट को यह आश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यकता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगें इस कारण से प्रार्थी/अपीलांट नियत दिनांक को मान्नीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अपीलार्थी की अपील को रेस्टोर किया जाना अति आवश्यक है अन्यथा अपीलार्थीगण अपील में न्याय से वंचित हो जायेगें। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने जवाब/ बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि मान्नीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.07.2021 को अपीलांट एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने के कारण अपील के अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज किया है जो विधि सम्मत है। श्रीमान् से निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09जा.दी. निरस्त फरमाया जावें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रकरण तकनीकी बिन्दु पर खारिज नही किये जाकर, मेरिट पर निस्तारण किये जाना चाहिए इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् बाजदायरी अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. में हुए विलम्ब को 1000/-(एक हजार रूपये) कोस्ट पर क्षमा किया जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट 1000/-रूपये कोस्ट राजस्व बार संघ में जमा कराके रसीद पेश करें। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् बाजदायरी अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. में हुए विलम्ब को 1000/-(एक हजार रूपये) कोस्ट पर क्षमा किया जाता है प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।	